रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2658] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 9, 2016/कार्तिक 18, 1938
No. 2658] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 9, 2016/KARTIKA 18, 1938

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2016

का.आ. 3413(अ).— कयर बोर्ड (व्यवसाय का संचालन, कर्मचारियों की सेवा शर्तें तथा लेखा का अनुरक्षण) उपनियम, 1955 के उपनियम 15 तथा 16 के साथ पठित कयर उद्योग अधिनियम, 1953(1953 का 45) की धारा 27 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केंद्र सरकार द्वारा की गई पुष्टि अनुसार कयर बोर्ड एतद्वारा कयर बोर्ड सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) उपनियम, 1969 में निम्न संशोधन करता है, अर्थात् :-

1. (1) इन उपनियमों को कयर बोर्ड सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण और अपील) उपनियम, 2016 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कयर बोर्ड सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) उपनियम, 1969 में निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

अनुसूची

पद तथा या समूह का विवरण	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्तियां लगाने के लिए सक्षम प्राधिकारी और शास्तियां जिन्हें यह लगा सकता (उपनियम 8 में मद संख्याओं के संदर्भ में) है		अपीलीय प्राधिकारी
		प्राधिकारी	शास्तियां	
समूह 'क' पद निदेशक (विपणन) और निदेशक अनुसंधान और विकास, प्रशिक्षण तथा विस्तार) या सचिव (कयर बोर्ड) को छोड़कर समकक्ष पद 7600/- रुपये या इससे ऊपर के ग्रेड पे वाले	अध्यक्ष कयर बोर्ड (केंद्र सरकार के अनुमोदन से)	सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय।	सभी	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री
(i) 7600/- रुपये के नीचे के ग्रेड पे वाले सभी अन्य समूह 'क' पद (ii) सभी समूह 'ख' तथा 'ग' पद	अध्यक्ष, कयर बोर्ड	अध्यक्ष, कयर बोर्ड	सभी	सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

[फा. सं. 6(6)/2015-कयर]

बी.एच. अनिल कुमार, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणीः मूल उपनियम 18 जनवरी, 1969 के का.आ. 200 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए तथा बाद में निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गएः

(i) दिनांक 12 जुलाई, 1975 की अधिसूचना का.आ. 2279
(ii) दिनांक 20 नवम्बर, 1976 की अधिसूचना का.आ. 4389
(iii) दिनांक 17 नवम्बर, 1986 की अधिसूचना का.आ. 4372
(iv) दिनांक 22 नवम्बर, 1988 की अधिसूचना का.आ. 1075(अ)
(v) दिनांक 23 अक्तूबर, 1992 की अधिसूचना का.आ. 779(अ)
(vi) दिनांक 27 जुलाई, 1999 की अधिसूचना का.आ. 599(अ)

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th November, 2016.

S.O. 3413(E).— In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 27 of the Coir Industry Act, 1953 (45 of 1953) read with bye-laws 15 and 16 of the Coir Board (Transaction of Business, Conditions of Service of Employees and Maintenance of Accounts)

Bye-laws, 1955 and confirmed by the Central Government, the Coir Board hereby makes the following amendments to the Coir Board Services (Classification, Control and Appeal) Bye laws, 1969 namely: -

1. (1) These Bye-laws may be called the Coir Board Services (Classification, Control and Appeal) Bye-laws, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Coir Board Services (Classification, Control and Appeal) Bye-laws, 1969 the following Schedule shall be substituted, namely: -

SCHEDULE

Description of Post and /or group	Appointing authority	Authority competent to impose penalties and penalties which it may impose (with reference to item numbers in bye-law 8)		Appellate authority.
		Authority	Penalties	
Group 'A' posts- Director(Marketing) and Director(Research, Development, Training and Extension) or equivalent post except Secretary (Coir Board) having grade pay of Rs. 7600/- or above.	Chairman Coir Board (with the approval of Central Government)	Secretary to the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises.	All	Minister of Micro, Small and Medium Enterprises.
(i)All other group 'A'posts having grade pay below of Rs. 7600/- (ii) All group 'B' and 'C' posts	Chairman, Coir Board	Chairman, Coir Board	All	Secretary to the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises.

[F.No. 6(6)/2015-Coir)]

B.H. ANIL KUMAR, Jt. Secy.

Foot Note: The principal Bye-laws were published in the Gazette of India vide S.O. 200 dated the 18th January,1969 and subsequently amended vide:

(i) Notification S.O. 2279 dated the 12th July,1975.

(ii) Notification S.O. 4389 dated the 20th November,1976.

(iii) Notification S.O. 4372 dated the 17th November,1983.

(iv) Notification S.O. 1075(E) dated the 22nd November,1988.

(v) Notification S.O. 779(E)dated the 23rd October,1992.

(vi) Notification S.O. 599(E) dated the 27th July,1999.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
HARINDRA KUMAR
Digitally signed by HARINDRA KUMAR
Date: 2016.11.10 15:21:31 +05'30'